



## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

### अधिसूचना

दिनांक-.....

संख्या-बी०एस०यू०(निर्देश)-25/2016-...../रा०स०(1)- इस सचिवालय के अधिसूचना संख्या-बी.एस.यू.(निर्देश)-25/2016-2227/रा.स.(1), दिनांक 29.08.2018 द्वारा बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू करने के उपरान्त उसके आधार पर सभी विश्वविद्यालयों में भी जन शिकायत की सुनवाई के लिए रूपरेखा का एक प्रारूप तैयार करने हेतु कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की गठित समिति से संबंधित अधिसूचना के क्रमांक-2 पर टंकण भूलवश कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना टंकित हो गया है जिसे कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के स्थान पर प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना पढ़ा जाय ।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- बी०एस०यू०(निर्देश)-25/2016-2374...../रा०स०(1)

दिनांक- 17-09-2018

प्रतिलिपि:-कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना / प्रतिकुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक), राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / गार्ड फाईल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-श्री विजय कुमार, निदेशक तकनीकी, एन.आई.सी., राजभवन, कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ एवं राजभवन के बेवसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव